

fcUnq I a[; k& 01 I xBu dk; kã rFkk drD; ka ds fooj .k&

ftyk df'k vf/kdkjh& आपने जिले के कृषि कार्य, बीज भंडार, एवं अन्य कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी है। विकास के समूचे ढांचे में अन्य विभागीय विकास अधिकारियों के साथ-साथ मुख्य विकास अधिकारियों के साथ-साथ मुख्य विकास अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है। कार्य सम्पादन में सहयोग के लिए इनको अपर जिला कृषि अधिकारी तथा ज्येष्ठ यांत्रिक सहायक की सहायता उपलब्ध है।

विकास खण्ड स्तर पर विभाग का अधिनस्थ वर्ग-2 के स्तर के सहायक विकास अधिकारी, एवं प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार वर्ग-03 हैं, जो खण्ड विकास अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

fcUnq I a[; k& 2 vf/kdkfj; ka rFkk deþkfj; ka ds vf/kdkj rFkk drD; -

जिला कृषि अधिकारी अपने क्षेत्र में समस्त कृषि विकास कार्यक्रमों एवं उत्पादन योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वयन एवं समन्वय करने हेतु उत्तरदायी है। योजनाओं के सम्बन्ध में क्रियान्वयन मूल्यांकन करने का भी अधिकार है। बीज, खाद एवं उर्वरकों की समय व्यवस्था, कृषकों को समय से पहले कृषि निवेश उपलब्ध कराने का कार्य, गुणवत्ता नियंत्रण, विकास सम्बन्धी बैठकों में भाग लेना, योजनाओं में कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण एवं सत्यापन, कृषि एवं सहकारी बीज भंडारों का निरीक्षण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य, विकास खण्डों में कृषि कार्यों का मौके पर निरीक्षण एवं सत्यापन, बैलेंस शीट व अन्य लेखा रिपोर्ट तैयार कराकर यथा समय उच्च अधिकारियों को भेजना, राजकीय फार्म के समय-समय पर निरीक्षण तथा उत्पादन एवं उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण तथा आय-व्यय का समुचित रूप से रख रखाव तथा देयकों का समय से भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करना।

fcUnq I a[; k& 03 i; bsk.k vkj tokngih ds Jkr I fgr fu.kz yus ea vi uk; h

tkus okyh ifO; k& कृषि निदेशालय एवं शासन स्तर से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का ही अनुपालन किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय से मार्ग निर्देशन अनुसार कार्यान्वयन किया जाता है। जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

fcUnq I a[; k& 04 dk; kã dks djus gsrq vi uk, s x; s ekud& निदेशालय स्तर

एवं शासन स्तर से निर्धारित मानक के अनुसार कार्यों को निष्पादित किया जाता है।

fcUnq I a[; k& 05 drD; ka ds fuokzgu grq vf/kdkfj ; ka@de]pkfj ; ka }kjk iz; ksx fd; s tkus okys fu; ek] fun] kka vk] vfHkys[kka vkfn dk fooj .k&

विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पत्र क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, पर सूचनाएँ प्राप्त एवं एकत्र कर सुरक्षित प्रेषण किया जाता है।

fcUnq I a[; k& 06 foHkkx }kjk j [ks tkus okys vfHkys[kka ds izdkjka dk fooj .k&

कार्यालय एवं बीज भंडारों पर कैश रसीद (डी-2), कैश बुक, स्टोर रसीद बुक, बिल बुक, स्टॉक लेजर एवं डैड स्टॉक रजिस्टर आदि रखे जाते हैं।

fcUnq I a[; k& 07 uhr fu/kk] .k ds fy, turk l s ijke kZ ; k l pko yus dk

i xU/k ; fn dkbZ gks rks& ऐसा कुछ नहीं है।

fcUnq I a[; k& 08 foHkkx ea l ykg nus ds fy, xBr nks ; k nks l s vf/kd

l nL; ka dh l fevr; ka vkfn dk fooj .k rFkk ; g Hkh fd mudh cBda turk ds fy, [kyh gkxh ; k ugha rFkk mudks dk; bkg; k; tul keU; ds fy, mi yC/k gkxh ; k ugh& शून्य।

fcUnq I a[; k& 09 vf/kdkfj ; ka rFkk de]pkfj ; ka dk i w kZ fooj .k

Ø- l a	de]pkjh dk uke	i n uke
1	पद रिक्त है	अ0जि0कृ0अ0
2	श्री जावेद हकीम	वर्ग- 2 (मैके0)
3	श्री रोशन लाल	वरिष्ठ सहायक
4	श्री बाबू लाल	वरिष्ठ सहायक
5	श्री अनिल कान्त	वरिष्ठ सहायक
6	श्री रविन्द्र कुमार	कनिष्ठ सहायक
7	श्री फारूक अहमद	जीप ड्राइवर
8	श्रीमती शशीकिरण	चतुर्थ श्रेणी
9	श्री बसन्त लाल	आर्दली
10	श्रीमती आदेश देवी	चतुर्थ श्रेणी

11	श्री ओमप्रकाश	चतुर्थ श्रेणी
12	श्री सत्यपाल सिंह	चतुर्थ श्रेणी
13	श्री धूम सिंह	फार्म अधीक्षक
14	श्री इस्त्याक खान	ट्रैक्टर ड्राइवर
15	श्री नत्थूलाल पाली	कामदार
16	श्री हरी शंकर	कामदार
17	श्री राकेश कुमार	कामदार
18	श्री साजिद अली खान	कामदार
19	श्री द्वारिका प्रसाद	कामदार
20	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	कामदार
21	श्री रोहिताश कुमार	कामदार
22	श्रीमती सरोज	कामदार
23	श्री नेमचन्द्र	कामदार

fcUnq l a[; k& 10

vf/kdkfj; ka , oa de[pkfj; ka dks i klr gkus okys ekfl d oru , oa i fjyfc/k; ki

Ø- l a	de[pkjh dk uke	i n	ewyoru	dyy oru	edku fdjk; k HkRrk	dyy i fjyfc/k
1	पद रिक्त है	अ0जि0कू.अ.				
2	श्री जावेद हकीम	वर्ग-2 (मैके0)	6175	11892	905	12797
3	श्री रोशन लाल	वरिष्ठ सहायक	6125	11912	—	11912
4	श्री बाबू लाल	वरिष्ठ सहायक	6125	11912	905	12817
5	श्री अनिल कान्त	वरिष्ठ सहायक	6000	11670	795	12465
6	श्री फारूक अहमद	जीप ड्राइवर	4200	8167	20	8187
7	श्रीमती शशी किरन	च0 श्रेणी	3730	7258	455	7713
8	श्रीमती आदेश देवी	च0 श्रेणी	3410	6638	455	7093
9	श्री ओमप्रकाश	च0 श्रेणी	3410	6638	455	7093
10	श्री सत्यपाल सिंह	च0 श्रेणी	3410	6638	455	7093
11	श्री रविन्द्र कुमार	कनिष्ठ सहायक	3050	5942	—	5942
12	श्री धूम सिंह	फार्म अधीक्षक	6800	6358	—	13158
13	श्री इस्त्याक खान	ट्रैक्टर ड्राइवर	5500	5143	—	10693
14	श्री नत्थू लाल पाली	कामदार	4220	8206	620	8826
15	श्री हरी शंकर	कामदार	359	6987	505	7492
16	श्री राकेश कुमार	कामदार	3660	7082	200	7282
17	श्री साजिद अली खान	कामदार	3660	7122	505	7627
18	श्री द्वारिका प्रसाद	कामदार	3590	6987	505	7492
19	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	कामदार	3345	6513	505	7018
20	श्री रोहिताश कुमार	कामदार	3345	6563	—	6563
21	श्रीमती सरोज	कामदार	3345	6473	505	6978
22	श्री नेमचन्द्र	कामदार	3345	6513	505	7018

fcUnq l a[; k& 11 foHkkx ds vUrxr l eLr vfHkdj.kka dk ctV rFkk ; kstukvkj

i Lrkfor 0; ; vkj fd; s x; s Hkxrkuka dk fooj.k&

ftyk ; kstukUrxr

; kstuk dk uke	Lohdr ifj0; ;		ctV ea	voeDr		Øfed 0; ;	
	dyy	dyy ea Li 0 dEi k0	i kfo/kkfur /kujkf k	dyy	dyy ea Li 0 dEi k0	dyy	dyy ea Li 0 dEi k0
गुणात्मक बीजों का संवहीन संग्रहण एवं वितरण	3100	—	3100	1979	—	1500	—
आईसोपाम योजना	600	150	600	263	38	153	20

योग	3700	150	3700	2242	38	1653	20
-----	------	-----	------	------	----	------	----

1-1 गुणात्मक बीजों का उत्पादन बढ़ाने की योजना— जनपद में राजकीय प्रक्षेत्र नवाबगंज व बिलवा पर चलाई जा रही है। इन प्रक्षेत्रों पर गुणात्मक बीजों का उत्पादन कार्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत हैं।

1-2 आईसो पाम योजना (इन्टीग्रेटेड स्कीम आयल सीड पल्सेज आयल पाम एवं मेज)— जनपद में तिलहन दलहन योजना के अन्तर्गत मुख्य कार्य मर्दें— ब्रोडर बीज क्रय एवं उपयोग, आधारीय बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज उत्पादन, वितरण, कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन आयोजन, कृषि रक्षा रसायन वितरण, कृषि रक्षा उपकरण वितरण, जिप्सम वितरण, एन0पी0बी0 जैव रसायन, स्त्रीकनार सैट, एच0डी0ई0पी0 पाईप, 33 प्रतिशत एवं कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण के लक्ष्य है।

2-1 योजना के अन्तर्गत मानव/बैल चालित कृषि यंत्रों पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपया 2000/— प्रति यंत्र अनुदान सुविधा अनुमान्य है।

2-2 शक्ति चालित यंत्रों पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम 10,000/— रूपया प्रति यंत्र अनुदान सुविधा अनुमान्य है।

2-3 रेटा वेटर, सीड ड्रील, जीरो ट्रिल, पोटेटो प्लापटर, फारेज हारवेस्टर कम रीपर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपया 20,000/— प्रति यंत्र अनुदान सुविधा अनुमान्य है।

2-4 स्माल ट्रैक्टर पर (35 हार्स पावर तक) मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम 30,000/— रूपया जो भी कम हो अनुदान अनुमान्य है।

3. मैक्रोमैनेजमेंट आफ एग्री कल्चर योजनान्तर्गत मुख्य कार्य मर्दें प्रमाणित/आधारीय बीजों के वितरण पर प्रोत्साहन, आई.पी.एम., फसल उत्पादन तकनीक प्रदर्शन, एवं प्रशिक्षण।

4. योजना अन्तर्गत वैज्ञानिकों के द्वारा चयनित कृषकों को 50-50 के समूह में बांट कर एक बार तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. कृषकों को विविध रूपों से उन्नत तकनीकी के प्रति जागरूक बनाने हेतु तकनीकी हस्तान्तरण योजनान्तर्गत प्रगतिशील कृषकों को एक्स पोजर विजिट, यंत्र प्रदर्शन, प्रचार-प्रसार, कृषक गोष्ठी, मासिक कार्यशाला व किसान दिवस आदि हैं।
6. वर्ष 2006-07 में योजनान्तर्गत जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में एक किसान विद्यालय का गठन कर कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरीफार्म, मशीनरी, विपणन आदि विषयों में प्रशिक्षित किसान सदस्य होंगे, यह विद्यालय प्रगतिशील एवं प्रशिक्षित किसानों द्वारा क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं को सुलझाने एवं अनुभवों को बांटने का प्लेट फार्म उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।
7. मास मिडिया सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के तहत नैरोकास्टिंग कार्यक्रम।
8. सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन प्रोग्राम एक्सटेंशन रिफार्म के तहत जनपद में कृषि तकनीकी प्रबन्ध अभिकरण का गठन-

जनपद के समस्त विकास खण्डों के सभी कृषकों को कृषि निवेश अनुदान पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। अनुदान पर कृषि निवेश प्राप्त करने वाले कृषकों का पूर्ण विवरण कृषि बीज भंडार, सहकारी भंडार, यू0पी0 एग्री के बिक्री केन्द्रों तथा कृषि रक्षा ईकाई पर उपलब्ध रहता है।

भौतिक एवं वित्तीय सूचनाएँ रखी जाती हैं।

सभी नागरिकों को समान रूप से सूचना प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है।

ए0के0 विश्नोई, जिला कृषि अधिकारी, बरेली

शून्य